

fclUnq | a[; k %& 1

ftyk gkæxkM | æBu %&

संगठन के रूप में विभाग का उदय भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 1962 में चीन देश द्वारा भारत के आक्रमण के प्रसंग में हुआ और इस संगठन से अपेक्षा की गयी कि निष्काम भाव से शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस बल को सहयोग करेंगे। दैवीय आपदाओं के समय लोक समाज की सेवा करेंगे।

उ0प्र0 होमगार्डस अधिनियम-1963 के अन्तर्गत होमगार्डस के निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं :-

- 1- पुलिस बलों के सहायक के रूप में काम करेंगे और अपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था व आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहयोग करेंगे।
- 2- हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़ आने, महामारी फैलने और अन्य आपदाओं के समय लोक समाज की सहायता करना।
- 3- ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए जो नियत किये जायें, आपातकालीन बल के रूप में कार्य करना।
- 4- लोक कल्याण के किसी कार्य से सम्बद्ध ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो नियत किये जायें। जिला स्तर पर संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है :-

ftyk dek.MJV gkæxkM

- 1- वैतनिक कम्पनी कमाण्डर
- 2- वैतनिक प्लाटून कमाण्डर
- 3- ब्लाक आर्गेनाइजर (ब्लाक स्तर पर)
- 4- हवलदार प्रशिक्षक
- 5- वरिष्ठ लिपिक
- 6- कनिष्ठ लिपिक
- 7- वाहन चालक
- 8- चतुर्थ श्रेणी रनर

fclUnq | a[; k&2

ftyk dekUMJV ds vf/kdkj , oa drD; %&

1- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी, आहरण एवं वितरण अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष, समस्त वैतनिक/अवैतनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों के पर्यावेक्षण सम्बन्धी कार्य किया जाना।

ořfud fujh{k d@ořfud lykVw dekUMj @ch0vk0 ds dk; l %&

- 1- होमगार्डस की ड्यूटी पर प्रतिस्थापन एवं मस्टरोल तैयार कर भुगतान करने हेतु प्रेषित करना एवं नियंत्रण सम्बन्धी कार्य।
- 2- लिपिकीय संवर्ग द्वारा कार्यालय सम्बन्धी लिपिकीय कार्यों का दायित्व।
- 3- चतुर्थ श्रेणी संवर्ग द्वारा पत्र वाहक सम्बन्धी कार्य।

fclUnq | a[; k&3

शासन एवं उ0प्र0 होमगार्डस मुख्यालय द्वारा समय समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार निर्णय लेने की कार्यवाही की जाती है।

fcUnq I a ; k&4

समय समय पर जारी शासनादेशों एवं उ0प्र0 होमगार्डस मुख्यालय द्वारा जारी मार्ग-निर्देशिकाओं तथा अधिनियमों के अनुसार सम्पन्न किया जाता है।

fcUnq I a ; k&5

उ0प्र0 होमगार्डस एक्ट-1963 एवं संशोधित 1972, होमगार्डस सेवा नियमावली समूह "क" एवं "ख" तथा होमगार्डस मुख्यालय के स्थायी आदेशानुसार कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

fcUnq I a ; k&6

स्थापना, लेखा, प्रशिक्षण एवं स्टोर सम्बन्धी अभिलेखों का रखरखाव किया जाता है।

fcUnq I a ; k&7

सम्बन्धित नहीं है।

fcUnq I a ; k&8

सम्बन्धित नहीं है।

fcUnq I a ; k&9

क्र.सं.	वर्ग/कक्षा	पद
1	—	जिला कमाण्डेन्ट
2	—	वैतनिक कमान्डर
3	—	वैतनिक कमान्डर
4	—	वैतनिक प्लाटून कमान्डर
5	—	वैतनिक प्लाटून कमान्डर
6	—	वैतनिक प्लाटून कमान्डर
7	—	वैतनिक प्लाटून कमान्डर
8	—	ब्लाक आर्गनाइजर
9	—	ब्लाक आर्गनाइजर
10	—	ब्लाक आर्गनाइजर
11	—	ब्लाक आर्गनाइजर
12	—	ब्लाक आर्गनाइजर
13	—	ब्लाक आर्गनाइजर
14	—	ब्लाक आर्गनाइजर
15	—	ब्लाक आर्गनाइजर
16	—	ब्लाक आर्गनाइजर
17	—	ब्लाक आर्गनाइजर
18	—	हवलदार प्रशिक्षक
19	—	हवलदार प्रशिक्षक
20	—	वरिष्ठ लिपिक
21	—	कनिष्ठ लिपिक
22	—	कनिष्ठ लिपिक
23	—	कनिष्ठ लिपिक
24	—	कनिष्ठ लिपिक

25	–	कनिष्ठ लिपिक
26	–	कनिष्ठ लिपिक
27	–	कनिष्ठ लिपिक
28	–	रनर
29	–	रनर
30	–	रनर
31	–	रनर
32	–	रनर
33	–	रनर/अर्दली
34	–	रनर
35	–	रनर
36	–	रनर
37	–	रनर
38	–	रनर
39	–	रनर
40	–	रनर
41	–	रनर

fcUnq I a[; k& 10

dDI 0	i nuke	oruoku
1	जिला कमान्डेन्ट	8000–275–13500
2	वैतनिक कम्पनी कमाण्डर	5000–150–8000
3	वैतनिक प्लाटून कमाण्डर	4500–125–7000
4	वरिष्ठ लिपिक	4000–100–6000
5	कनिष्ठ लिपिक	3050–75–3950–80–4590
6	ब्लाक आर्गेनाइजर	3200–85–4900
7	हवलदार प्रशिक्षक	3050–75–3950–80–4590
8	रनर्स संवर्ग	2550–55–2650–60–3200

ftyk gkexkMI I xBu ds vf/kdkjh@depkjh ; ka ds oru vkfn dk foj . k

dDI 0	vf/kdkjh@depkjh dk uke	i nuke	emy oru	'kq) vkgj . k
1	–	जिला कमाण्डेन्ट	10200 / –	18560 / –
2	–	वैतनिक कम्पनी कमाण्डर	6200 / –	8902 / –

3	-	वैतनिक कम्पनी कमान्डर	5450 / -	10361 / -
4	-	वैतनिक प्लाटून कमान्डर	5250 / -	9339 / -
5	-	वैतनिक प्लाटून कमान्डर	5000 / -	8680 / -
6	-	वैतनिक प्लाटून कमान्डर	5250 / -	9469 / -
7	-	वैतनिक प्लाटून कमान्डर	5000 / -	9060 / -
8	-	ब्लाक आर्गेनाइजर	4645 / -	7974 / -
9	-	ब्लाक आर्गेनाइजर	4645 / -	7694 / -
10	-	ब्लाक आर्गेनाइजर	4645 / -	7479 / -
11	-	ब्लाक आर्गेनाइजर	4645 / -	8194 / -
12	-	ब्लाक आर्गेनाइजर	4645 / -	7659 / -
13	-	ब्लाक आर्गेनाइजर	4475 / -	8050 / -
14	-	ब्लाक आर्गेनाइजर	3710 / -	6154 / -
15	-	ब्लाक आर्गेनाइजर	4350 / -	5301 / -
16	-	ब्लाक आर्गेनाइजर	3455 / -	6261 / -
17	-	ब्लाक आर्गेनाइजर	3455 / -	6266 / -
18	-	हवलदार प्रशिक्षक	3275 / -	6313 / -
19	-	हवलदार प्रशिक्षक	3275 / -	6313 / -
20	-	वरिष्ठ लिपिक	5200 / -	9902 / -
21	-	कनिष्ठ लिपिक	5100 / -	9159 / -
22	-	कनिष्ठ लिपिक	4700 / -	7985 / -

23	-	कनिष्ठ लिपिक	3875 / -	5879 / -
24	-	कनिष्ठ लिपिक	3575 / -	6383 / -
25	-	कनिष्ठ लिपिक	3725 / -	6973 / -
26	-	कनिष्ठ लिपिक	3425 / -	6493 / -
27	-	कनिष्ठ लिपिक	3275 / -	6303 / -
28	-	रनर	3875 / -	7479 / -
29	-	रनर	3875 / -	6059 / -
30	-	रनर	3260 / -	5828 / -
31	-	रनर	3260 / -	5928 / -
32	-	रनर	3260 / -	5428 / -
33	-	रनर / अर्दली	3260 / -	6273 / -
34	-	रनर	3080 / -	3955 / -
35	-	रनर	2605 / -	5136 / -
36	-	रनर	2605 / -	5136 / -
37	-	रनर	2605 / -	5136 / -
38	-	रनर	2605 / -	5136 / -
39	-	रनर	2605 / -	5416 / -
40	-	रनर	2605 / -	5416 / -
41	-	रनर	2605 / -	5416 / -

fcUnq I d; k&11

विभाग के समस्त बजट का आवंटन आयोजनेत्तर मद के अन्तर्गत होता है।

fcUnq I d; k&12

सम्बन्धित नहीं है।

fcUnq I d; k&13

सम्बन्धित नहीं है।

fcUnq I d; k&14

सम्बन्धित नहीं है।

fcUnq I d; k&15

समस्त नागरिक किसी भी कार्य दिवस मे निर्धारित शुल्क जमा कर जिला होमगार्डस कार्यालय, बरेली से विभाग सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर सकते है।

fcUnq I d; k&16

1- श्री -, जिला कमान्डेन्ट/जनसूचना अधिकारी, बरेली।

2- श्री -, जिला कमान्डेन्ट के सहायक/सहायक जनसूचना अधिकारी, बरेली।
फ़ोन नं. 17

सम्बन्धित नहीं है।